देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

सिक्यूरिटी –ई निविदा के संबंध में।

कार्य–विवरण

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर द्वारा जारी किये गये सिक्युरिटी गार्ड की नवीन ई–निविदा के सम्बन्ध में निर्देशानुसार साप्ताहिक (Weekly Rest) अवकाश एवं अन्य दो सिक्युरिटी एजेंसियों ने लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। जिनके निराकरण के संबंध में निविदा प्रपत्र तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 8.7.2020 को अपरान्ह 3.15 बजे वित्त नियंत्रक के कक्ष में सम्पन्न हुई :–

बैठक में निम्नानुसार सदस्य उपस्थित हुए :–

1. डॉ.आशुतोष मिश्रा आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, भौतिक अध्ययन	अध्यक्ष
2. डॉ. वृंदा टोकेकर आचार्य एवं विभागाध्यक्ष आई.टी.सेंटर	सदस्य
3. श्री दिलीप वर्मा वित्त नियंत्रक	सदस्य
4. डॉ. दीपक मेहता आचार्य तक्षशिला परिसर	सदस्य
5. श्री प्रज्ज्वल खरे उप कुलसचिव(परीक्षा)नालंदा परिसर	सदस्य
6. डॉ. आर. के. बघेल उप कुलसचिव(प्रशा)	संयोजक

गठित समिति के उपर्युक्त सदस्यों ने सर्वप्रथम साप्ताहिक अवकाश के आवेदन पर विस्तृत चर्चा की तथा निर्णय लिया कि प्रपत्र–दो वित्तीय प्रस्ताव के फार्म में साप्ताहिक अवकाश का उल्लेख इसलिये नहीं किया गया कि –

"विश्वविद्यालय द्वारा दर्शाई गई दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimam wages Act) के अन्तर्गत है, अतः साप्ताहिक अवकाश की दर वित्तीय प्रस्ताव में दर्शाना इसलिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि वित्तीय तुलनात्मक गणना में इसका कोई अंतर परिलक्षित नहीं होगा। अतः वित्तीय प्रस्ताव में इसे दर्शाना आवश्यक नहीं है।"

..2..

इसी तरह अन्य दो एजेंसियों (1) संचालक थर्ड आई सिक्युरिटी सर्विस प्रायवेट लिमिटेड एवं (2) संचालक YUDIT सिक्युरिटी सर्विस के अभ्यावेदनों का भी समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार अनुशंसा की जाती है :–

1. विश्वविद्यालय एक स्वशासी संस्था है, जो मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 से संचालित होता है। अतः एम.एस.एम.ई. के अन्तर्गत छूट बंधनकारी नहीं है।

2. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी की दरों का पालन किया जाता है।

समिति द्वारा अनुसंशित है , कि इसे विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

(डॉ.आशुतोष मिश्रा)	(डॉ.वृंदा टोकेकर)	(श्री दिलीप वर्मा)
अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य
(डॉ. दीपक मेहता)	(डॉ.प्रज्जवल खरे)	(डॉ. आर.के. बघेल)
सदस्य	सदस्य	संयोजक